न्यायालय सहायक कलक्टर, नदबई

पीठासीन अधिकारी– डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस

वाद संख्या – 121 / 2015
किस्म मुकदमा– दावा
तारीख निर्णय – 24.04.2018

1. धर्मी पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
2 प्रकाश पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
3 राजेन्द्र पुत्र सुम्मेरा जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई

– वादी

बनाम

1. गंगाराम पुत्र सुखराम जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
2. बदनसिंह दत्तक पुत्र मंगल जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
3. हरीसिंह पुत्र अंगना जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
4. तेजसिंह पुत्र अंगना जाति जाटव निवासी मई तहसील नदबई
5. ओमसिंह पुत्र अंगना जाति जाटव साकिन मई तहसील नदबई
6. भदई पुत्र खचेरा जाति जाटव साकिन मई तहसील नदबई
7. वीरेन्द्र पुत्र भदई जाति जाटव साकिन मई तहसील नदबई
8. रमेश पुत्र भदई जाति जाटव साकिन मई तहसील नदबई
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
10. सब रजिस्ट्रार तहसील नदबई
11. सब रजिस्ट्रार उप तहसील लखनपुर

– प्रतिवादीगण

उपस्थितः– 1.श्री भगवानसिंह एडवोकेट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88,89,188 आर टी ए के तहत पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजी खाता सं. 220 के आराजी खसरा नं. 264 रकवा 0.58 है., 265 रकवा 0.56 है., 266 रकवा 0.25 है. किता 3 रकवा कुल 1.39 है. व खाता सं. 221 के आराजी खसरा नं. 251 रकवा 0.39 है., 267 रकवा 0.71 है. किता 2 रकवा कुल 1.10 है. कुल किता 5 रकवा कुल 2.49 है. वाके मौजा मई तहसील नदबई में स्थित है। विवादित आराजी पर हिस्सा गलत दर्ज होने का विवाद है तथा वर्तमान खातेदारान के पूर्व खातेदार लगभग सभी फौत हो चुके हैं। विवादित आराजी जमाबंदी आधार वर्ष 2060 के खाता सं. 256 में दर्ज है तथा हाल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2069 से 72 में विवादित आराजी दो खातों में खाता सं. 220 में खसरा नं. 264, 265, 266 व खाता सं. 221 में खसरा नं. 251, 267 दर्ज हैं। विवादित आराजी में आधार वर्ष सं. 2060 में वादीगण के पिता 1/10 हिस्से के व प्रतिवादी सं. 1 के पिता सुखराम 3/10 हिस्से के व प्रतिवादी सं. 2 के पिता मंगल 3/10 हिस्से के व प्रतिवादी सं. 3 लगायत 5 के पिता अंगना 3/10 हिस्से के व प्रतिवादी सं. 6, 1/10 हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है तथा यह इन्द्राज बिल्कुल सही है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने उसके बाद जमाबंदी सं. 2065 से 68 में वादीगण के 1/10 हिस्से को सुखराम के हिस्से में जोड दिया तथा सुखराम को 3/10 के बजाय 2/5 हिस्से का दर्ज कर दिया व सुम्मेरा का नाम जमाबंदी में से हटा दिया गया तथा यही इन्द्राज आज तक हाल जमाबंदी के खाता सं. 220 में चले आ रहे हैं जबकि खाता सं. 221 में सुम्मेरा के 1/10 हिस्से का सही इन्द्राज हो रहा है तथा मृतक सुखराम ने खसरा नं. 251, 267 के अपने सम्पूर्ण हिस्से 3/10 का बेचान प्रतिवादी सं. 6 भदई को कर दिया तथा सुखराम की मृत्यु होने के बाद उसके पुत्र गंगाराम ने अपने सम्पूर्ण 3/10 हिस्से से अधिक इन्द्राज का लाभ उठाते हुए विवादित आराजी में से खसरा नं. 264, 265 266 के 3/10 हिस्से से अधिक करीब 0.03 है. रकवा अधिक विक्रय प्रतिवादी सं. 7, 8 को कर दिया तथा प्रतिवादी सं. 1 के नाम अब जो शेष हिस्सा बचता है वह वादीगण का है जिसे वादीगण आधार वर्ष सं. 2060 के आधार पर दुरुस्त करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी सं. 7, 8 के खाते से कम करवाकर अपने 1/10 हिस्से की खातेदारी दर्ज करा पाने के अधिकारी हैं क्योंकि प्रतिवादी सं. 6 भदई विवादित आराजी में मूल खातेदार भी हैं तथा वादीगण अपने 1/10 हिस्से पर आज भी काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। प्रतिवादीगण ने वादीगण को दिनांक 13.08.2015 को खुले आम धमकी दी है कि यह विवादित आराजी को विक्रय करके रहेंगे। व वादीगण को उनके हिस्से से महरूम करके रहेंगे। अगर प्रतिवादीगण अपनी दी गई धमकी में कामयाब हो गये तो वादीगण को एक अजीम क्षति होगी जिसकी पूर्ति जरिये नकद से न हो सकेगी। इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण को जरिये हुक्त इम्तनाई दवामी की डिक्री से पाबंद करा पाने के अधिकारी है। अन्त में प्रार्थना कि की खाता स. 220 में प्रतिवादी स. 1 गंगाराम पुत्र सुखराम के नाम 1/10 हिस्से से अधिक दर्ज शेष हिस्सा व 0.03 है. रकवा जो प्रतिवादी स. 1 के द्वारा अपने हिस्से 3/10 से अधिक प्रतिवादी स. 7 व 8 को क्रय किया है। जो प्रतिवादी स. 7व8 के हिस्से में से कम करते हुऐ वादीगण को आधार वर्ष संवत 2060 के आधाार पर 1/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 लगायत 11 की तामील बावजूद भी अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबंदी संवत् 2069–2072 वाके ग्राम मई , नकल जमाबंदी आधार वर्ष संवत 2060 वाके ग्राम मई , नकल जमाबंदी संवत् 2061 लगायत 2064 वाके ग्राम मई पेश की गई तथा मौखिक बयान में धर्मी के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गयें।

बहस एक तरफा सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया जो पाया कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत् 2060 आधार वर्ष के अनुसार खसरा नं.

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

251, 264, 265, 266, 267 किता रकवा 2.49 हैक्ट. पर सुमेरा पुत्र खचेरा का 1/10 पर खातेदारी का अंकन है तथा उसकी मृत्यु के बाद विरासतन से नामांतकरण संख्या 269 से वादीगण के 1/10 हिस्से पर खातेदारी का अंकन है तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता सुक्खाराम की 3/10 हिस्से पर खातेदारी का अंकन है तथा खसरा नं. 251, 267 का विक्रय पत्र सुक्खाराम ने प्रतिवादी सं. 6 को विक्रय कर दिया तथा जिसके रिकार्ड में अंकन हो रहा है तथा शेष आराजी खसरा नं. 264, 265, 266 पर प्रतिवादी सं. 1 के पिता सुक्खाराम का नकल जमाबंदी संवत् 2061 लगायत 2064 पर शेष हिस्सा 2/10 के स्थान पर गलती से 2/5 अंकन कर दिया है तथा सुमेरा के वारिसान् वादीगण का 1/10 हिस्से का अंकन सही नहीं किया गया है जो कि गलत है। तथा उक्त अंकन किसी न्यायालय के निर्णय बिना किया गया है। ऐसी स्थिति में काबिले कलमजन के हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 के पिता सुखराम की मृत्यु के बाद विरासतन् से प्रतिवादी सं. 1 का इन्द्राजात किया गया है। तथा प्रतिवादी सं. 1 के आराजी खसरा नं. 264, 265, 266 पर गलत इन्द्राजात के आाधार पर उक्त आराजीयात् को प्रतिवादी सं. 6 लगायत 7 को विक्रय कर दिया है जबकि प्रतिवादी सं. 1 को 2/10 हिस्से से अधिक विक्रय करने का आधार प्राप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन से वाद विवादित आराजी खसरा नं. 264, 265, 266 पर 1/10 हिस्से पर खातेदार काश्तकार घोषित करने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी सं. 6 लगायत 7 का 1/10 हिस्से पर हो रहे इन्द्राजात को कलमजन करने का अधिकारी है। प्रतिवादी गण ने इस तथ्य को अस्वीकार करने का कोई रिकार्ड व जवाब पेश नहीं किया है। उक्त रिकार्ड के अनुसार स्थिति निम्न प्रकार है।

(खाता सं. 220 ख.न. 264,265,266 कुल रकवा 1.39 हैक्ट.)

	संवत 2060		संवत 2069–72
1.	मंगल हिस्सा	1/5	1/5
2.	सुखराम हिस्सा	3/10	2/5 या 4/10
3.	अगंना हिस्सा	3/10	3/10
4.	सुम्मेरा हिस्सा	1/10	निल
5.	भदई हिस्सा	1/10	1/10
		एक	एक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

:– इस प्रकार सुखाराम का 1/10 हिस्सा ज्यादा दर्ज हुआ तथा सुम्मेरा का हिस्स हट गया बिना किसी विधिक आधार के

:– सुखराम के वारिस गंगाराम का हिस्सा 3/10 अर्थात 3/10 1.39 हैक्ट. 41.7 एयर जबकि बेचान मुताबिक नोट जमाबंन्दी संवत 2069–72 के 44 एयर अर्थात 2 एयर ज्यादा वीरेन्द्र रमेश पि. भदई प्रति. सं. 7 व 8 के पक्ष में कर दिया जो कम किया जाऐ।

:– शेष 1/10 हिस्सा जो गगांराम पि. सुखराम के नाम बिना किसी विधिक आदेश के ज्यादा दर्ज हो गया है उसे कलमजन करते हुऐ 1/10 हिस्सा समुम्मेरा के पुत्र वादीगण के नाम इन्द्राज किया जाये।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण डिक्री इस कदर किया जाता है कि वादीगण को आराजी खसरा नं. 264 रकबा 0.58, 265 रकबा 0.56 हैक्ट., तथा खसरा नं. 266 रकबा 0.25 हैक्ट. किता 3 रकबा 1.39 हैक्ट. वाके ग्राम मई पर 1/10 हिस्से का वादीगण

को बाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी सं. 7 लगायत 8 के उक्त आराजी पर हो रहे इन्द्राजात में से 2 एयर हिस्सा कलमजन किया जाकर 44 एयर के स्थान पर 42 एयर का खातेदार दर्ज किया जावें तथा शेष 1/10 हि0 गंगाराम पि. सुखाराम के नाम दर्ज हो गया है उसे कलमजन किया जावें तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 24.04.2018 सुनाया गया। पत्रावली फैसल ुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ.राजेश गोयल)
सहायक कलक्टर
नदबई (भरतपुर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official